कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ / /2025 दि0 लखनऊः अगस्त 11, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 951/2025 दिनांक 26–06–2025 के द्वारा जनपद अयोध्या में युगलपीठ का गठन दिनांक 12–08–2025 से 14–08–2025 तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अयोध्या एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ के पत्र संख्या–508 दिनांक 11–08–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि वह अपरिहार्य कारणों से वह उक्त अवधि दिनांक 12–08–2025 से 14–08–2025 में उपरोक्त गठित युगलपीठ में भाग लेने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 951/2025 दिनांक 26–06–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद–अयोध्या में दिनांक 12–08–2025 से 14–08–2025 तक गठित युगलपीठ, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है एवं उक्त के स्थान पर अयोध्या में दिनांक 20–08–2025 से 22–08–2025 तक युगलपीठ गठित की जाती है एवं उक्त युगल पीठ हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अयोध्या एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, प्रयागराज को नामित किया जाता है । उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-11.08.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/ 1108 /2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, अयोध्या पीठ, अयोध्या।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, प्रयागराज।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ।
4– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
5– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।